2564

Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

D-41, Kausambi (Ghaziabad)

No.: API/2007-08/220

27.03.2008

The Sr. Vice President & Co. Secretary
Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
New Delhi

Sir,

Please find enclosed herewith Original Sale Deed of HT Dadri Project. The details of Sale Deed are as under :-

1)	Sale Deed No.	:	250/2726
2)	Date of Execution	:	07.03.2008
3)	Cost of Land	:	20,00,000/-
4)	Stamp Paper Used	:	1,60,000/-
5)	No. of Pages	:	11
6)	Name of Sellers/POA Holder	:	Smt.Krisna Devi W/o Sh. Rampat village ;Haraila Pargana & Tehsil : Dadri Distt.: Gautam Budh Nagar
7)	Name of Purchaser	:	Sh. Krishan Kumar S/o Sh.Om Prakash R/o. Village : Tugal Pur Tehsil & Distt.: Gautam Budh Nagar
8)	Area	:	0.1995 Hect.

Kindly acknowledge receipt.

Recd
31.3.08

Thanking you

Yours Truely

27/03/08

(G.R. Tyagi)
DGM (Land)

Encl.: As above

CC : Executive Director, Business Development for information

F 2726 (2564) (250)

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 004230

NOTARY NOIDA DISTT. G. B. NAGAR

On Idetification of Wittnesses Photo Attested

NOTARY NOIDA G. B. NAGAR

1

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 20,00,000/- रूपये।

स्टाम्प अंकन 1,60,000/- रूपये।

<u>विवरण विक्रय सम्पत्तिः-</u> कृषि भूमिधरी के चक संख्या 343 के मूल खेत नं0 41मि0 रकबा 0-3-0 पुख्ता व खेत नं0 42मि0 रकबा 0-10-0 पुख्ता व खेत नं0 65 रकबा 0-9-0 पुख्ता व खेत नं0 66मि0 रकबा 0-3-0 पुख्ता व खेत नं0 67 रकबा 1-2-0 पुख्ता व खेत नं0 68 रकबा 0-10-0 पुख्ता व खेत नं0 70 रकबा 0-6-0 पुख्ता इस प्रकार कुल सात खेत रकबई 3-3-0 पुख्ता का 1/4 भाग सम्पूर्ण अपना बक़दर 0-15-15 पुख्ता अर्थात 0.1995 हैक्टेयर भूमि जिसको मैंने बैनामें द्वारा दिनांक 14-07-2006 ई0 को साहबराम पुत्र श्री भोपता से खरीद किया था जिसे बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला-गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 111 रू0 15 मि.
स्टाम्प नं0 .... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

कृष्ण कुमार S/O ओमप्रकाश
R/O दुगलपुर

नामा 2000000/- फीस रजि0 50000/-
उजरत 200 योग 50200 शब्द लगभग 600
श्री महा कृष्णा देवी
पुत्र श्री W/o रामपत पेशा गृहकार्य
निवासी ग्राम इरौला पर तह दादरी
ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर में आज दिनाँक 7/3/08 समय मध्य 4 व 5 बजे प्रस्तुत किया।

सब रजिस्ट्रार दादरी
7/3/08

नि0 महा कृष्णा देवी

इस लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे
जरेबदल मु0 2000000/- रुपया पुलेखानुसार
जिसमें से ....
नगद मेरे समक्ष पाकर उक्त श्री .... मति कृष्णा देवी मुनिर उक्त ने व तनाजीत सि श्री कृष्ण कुमार पु. ओम प्रकाश R/. ग्राम दुगलपुर तह सदर ने स्वीकार किया

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

15000रु. 15000रु.

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 004231

2

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से है।

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है। संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 35,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर का है। किन्तु क्रेता द्वारा सर्किल रेट का दोगुना करके तथा उससे भी अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रीत भूमि किसी जी0टी0रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा वय पंजीकृत नहीं हुआ है।

कृष्ण कुमार

कोषाधिकारी उप कोषागार
दादरी

—7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ..112.... रू0 ..15.... शेष ....
स्टाम्प नं0 ...111.......... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

[illegible] श्री हरि ओम
पुत्र श्री ओमप्रकाश पेशा खेती
निवासी तुगलपुर तह सदर
व श्री करन सिंह
पुत्र श्री गिरवर सिंह पेशा खेती
निवासी ग्राम दादरी
ने की

सब-रजिस्ट्रार दादरी
7/3/08

अरुण कुमार

निशान अंगूठा देवी पुत्री

हरिओम

करन सिंह

[illegible] अंगूठा नियमानुसार लिये गये

उप नियन्धक
दादरी, गौतम बुद्ध नगर

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 004232

3

हम कि श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री रामपत जाति जाटव निवासी ग्राम हरौला, परगना व तहसील -दादरी, जिला-गौतमबुद्धनगर (विक्रेत्री, फरीक अव्वल)।

एवम्

कृष्ण कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कोरी, निवासी ग्राम तुगलपुर, तहसील व जिला- गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश) (क्रेता फरीक दोयम)।

नि० कृष्णा

कृष्ण कुमार

कार्यालय उप कोषागार
बाक्शी

-7 MAR 2006

स्टाम्प नं0 ..113...रू0 .150...नाम..............
स्टाम्प नं0 ..121............में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 004233

4

विदित हो कि कृषि भूमिधरी के चक संख्या 343 के मूल खेत नं0 41मि0 रकबा 0-3-0 पुख्ता व खेत नं0 42मि0 रकबा 0-10-0 पुख्ता व खेत नं0 65 रकबा 0-9-0 पुख्ता व खेत नं0 66मि0 रकबा 0-3-0 पुख्ता व खेत नं0 67 रकबा 1-2-0 पुख्ता व खेत नं0 68 रकबा 0-10-0 पुख्ता व खेत नं0 70 रकबा 0-6-0 पुख्ता इस प्रकार कुल सात खेत रकबई 3-3-0 पुख्ता का 1/4 भाग सम्पूर्ण अपना बकदर 0-15-15 पुख्ता अर्थात 0.1995 हैक्टेयर भूमि जिसको मैंने बैनामें द्वारा दिनांक 14-07-2006 ई0 को साहबराम पुत्र श्री भोपता से खरीद किया था जिसे बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

—7 MAR 2008

स्टाम्प नं० ...115... रु० ...0... नाम ....
स्टाम्प न० .....11/........ में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

दादरी

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 004234

5

चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर, जिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक व संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबै, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा फरीक अव्वल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने में नहीं आता है। अतः फरीक अव्वल ने अपनी

कार्यालय उप कोषागार
[illegible]

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...215... रू0 ....15 मार्च.............
स्टाम्प नं0 .....11)........ में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

उत्तर प्रदेश

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 004235

6

समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजारू कीमत के बदले अंकन रूपये 20,00,000/- (बीस लाख रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन रूपये 10,00,000/-होते है में इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दोयम को बेच दी तथा कतई वय कर दी तथा समस्त विक्रीतधन अर्थात भूमि की कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से फरीक दोयम में देकर उस पर फरीक दोयम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब बैय किये

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...... रू0 ...... नाम ....
स्टाम्प नं0 ...... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

उत्तर प्रदेश

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 004236

7

पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुक्श कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक

कार्यालय उप कोषागार
खादरी

—7 MAR 2008

स्टाम्प नं० 112.....रु० ..15...नाम..............
स्टाम्प नं० ....111.........में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

उत्तर प्रदेश

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 004237

8

दोयम को न मिले या फरीक अव्वल मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे मालिकाना फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजारू कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक अव्वल व वारसान फरीक अव्वल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा दूँगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी कृषि भूमि है।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ..118.... रू0 ....15 नाम..............
स्टाम्प नं0 .....117.........में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004238

9

<u>विवरण धन अदायगी</u> :- अंकन 20,00,000/- रूपये पेशगी फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ...119... रू0 ...15... नाम ....
स्टाम्प नं0 ......112...... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 004239

10

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं0 ..126... रू0 ...15 तीन ....
स्टाम्प नं0 ...117......... में शामिल किया गया
उप-रोकड़िया

उत्तर प्रदेश

0JAA 471079

11

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति।।

गवाह - 1

गवाह - 2

तारीख 07-03-2008 ई0 मसौदाकर्ता **राधेश्याम अग्रवाल,** बैनामा लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) **लाइसेन्स नं0 1**

राधेश्याम अग्रवाल
बैनामा लेखक लाइ0- 1
तहसील-दादरी (गौतमबुद्धनगर)

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
7 MAR 2008
स्टाम्प नं0 ....121 रू0 10 नाम ....
स्टाम्प नं0 ......111......में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

INDIA NON JUDICIAL

आज दिनांक 7/3/2008 को फोटोस्टेट
प्रति पुस्तक संख्या .... खण्ड संख्या 1105
के पृष्ठ 359 380 पर क्रम संख्या 2726
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
दादरी